शहरीकरण को बढ़ावा

2658. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1980 से शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो हरियाणा के किन-किन प्रमख नगरों को इस का लाभ हुआ है तथा सरकार द्वारा दी गई सहायता और राज्य द्वारा किए गए अंशदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार दिल्ली की नई राजधानी क्षेत्र योजना के अधीन विकसित किए जाने हेतु राज्य के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगरों को शामिल करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, और सरकार ने 1985 से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शहरीकरण का होना अपरिहार्य है । शहरी विकास राज्य का विषय है और यह कार्य राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों का है कि वे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीमें तैयार करें । यद्यपि भारत सरकार के पास छोटे तथा मध्यम नगरों का एकीकृत विकास, शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम जैसी स्कीमें हैं तथापि नियोजित शहरी विकास में भारत सरकार की भूमिका एक प्रेरक के रूप में है ।

1979–85 अवधि के दौरान हरियाणा के नगरों को छोटे तथा मध्यम नगरों का एकीकृत विकास के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता और 1985–86 से 1990-91 तक के वर्षवार ब्यौरे विवरण 1 में दिए गए हैं । राज्य का अंशदान मैचिंग आधार पर है ।

"दिल्ली की नई राजधानी क्षेत्र योजना" के रूप में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत हरियाणा उप-क्षेत्र के निम्नलिखित नगरों को क्षेत्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2001 में विकास के लिए चुन लिया गया है :—

क—प्राथमिकता नगर

1. पानीपत
2. रोहतक
3. रिवाड़ी
4. धारुहेड़ा
5. पलवल

ख—काऊन्टर मैगनेट क्षेत्र

1. हिसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वर्ष-वार ऋण सहायता और हरियाणा उप-क्षेत्र के नगरों के लिए राज्य सरकार के अंशदान के ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण – 1

नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन

शहरी विकास मंत्रालय

1979–91 के दौरान हरियाणा के नगरों को छोटे तथा मध्यमनगरों का एकीकृत विकास के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	नगर का नाम	79–85	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91
1.	अम्बाला	—	—	20.00	—	17.00	2.00	—
2.	सिरसा	25.00	—	—	—	12.00	2.00	—
3.	सोहना	20.00	5.00	—	—	10.00	—	—
4.	करनाल	40.00	—	—	—	—	—	—
5.	कुरुक्षेत्र	40.00	—	—	—	—	—	—
6.	हिसार	18.00	—	15.00	—	2.00	—	—
7.	भिवानी	—	—	—	—	20.00	—	—
8.	शाहबाद	—	—	—	—	15.00	23.00	—
9.	जींद	—	—	—	—	—	29.75	—
10.	सोनीपत	—	—	—	—	—	29.75	—
	योग	143.00	5.00	35.00	—	76.00	86.50	—

विवरण — 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीमों के लिए हरियाणा उप-क्षेत्र के नगरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा दी गई वर्षवार ऋण सहायता या राज्य सरकार का अंशदान

(लाख रुपयों में)

	1985–86	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91
(क) गुड़गांव						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा ऋण सहायता	75.00	55.00	150.00	205.00	183.00	55.00
2. राज्य सरकार का अंशदान	76.58	293.89	179.41	748.24	294.18	—
3. योग	151.58	348.89	329.41	953.24	477.18	50.00
(ख) पानीपत						
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा ऋण सहायता	50.00	83.50	129.00	90.00	—	108.00
2. राज्य सरकार द्वारा अंशदान	50.18	116.02	—	201.43	113.24	—
3. योग	100.18	199.52	129.00	291.43	113.24	108.00

टिप्पणी :— वर्ष 1991–92 के दौरान हरियाणा उप-क्षेत्र के नीचे दिए गए नगरों को निम्नलिखित ऋण सहायता मजूर की गई :—

रिवाड़ी	34.00 लाख रुपये
धारूहेड़ा	8.00 लाख रुपये
रोहतक	200.00 लाख रुपये
पानीपत	32.00 लाख रुपये
योग	274.00 लाख रुपये